

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph / FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/1451

दिनांक : 06.02.2026

आदेश

सां. आ. 157/2026 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 64-क के उप नियम (1) के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए गए साधारण या विनिर्दिष्ट निर्देशों के अधीन रहते हुए नियम 64 के उपबन्ध नियम 46-क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित (नामंजूर) करने के संबंध में लागू होंगे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम नियम 64-क सपठित नियम 64 एवं 46-क के उप नियम (4) के उपबन्धों के अनुसरण में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4207 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. 125/2019) को अधिकमित करते हुए सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित किए जाने के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी करता है :-

1. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना प्रारम्भ करने के लिए नियत समय की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त लिफाफा-ख (प्ररूप 16-ग) को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जायेगी।
2. निर्धारित समयावधि में प्राप्त होने वाले लिफाफे को एक-एक करके खोला जायेगा और जैसे ही प्रत्येक लिफाफे को खोला जाए, रिटर्निंग अधिकारी प्रथमतः उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप 16-क में की गई घोषणा की संवीक्षा करेगा।
3. यदि प्ररूप 16-क में की गई घोषणा नहीं पायी जाती है या उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है, अर्थात् सारतः त्रुटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्यांक लिफाफा-क (प्ररूप 16-ख) पर पृष्ठांकित क्रम संख्यांक से भिन्न है तो लिफाफा-क (प्ररूप 16-ख) को खोला नहीं जायेगा और उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र को प्रतिक्षेपित (नामंजूर) कर देगा।
4. बिन्दु संख्या-3 के अनुसार प्रतिक्षेपित (नामंजूर) किए गए ऐसे समस्त पृष्ठांकित लिफाफे-क (प्ररूप 16-ख) और उनके साथ प्राप्त प्ररूप 16-क में घोषणा को पुनः लिफाफा-ख (प्ररूप 16-ग) में रखा जाएगा और इस तरह समस्त लिफाफा-ख (प्ररूप 16-ग) को एक पृथक बड़े पैकेट में रखा जाएगा, जिस पर नगरपालिका नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित कर पैकेट को मुद्राबन्द किया जाएगा।
5. इसके पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्ररूप 16-क में की गयी उन सभी घोषणाओं को, जो उसने सही पायी हैं, को पृथक पैकेट में रखेगा एवं मुद्राबन्द किया जाएगा। इसके बाद ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिफाफा-क (प्ररूप 16-ख) को खोलना प्रारम्भ किया जायेगा और जिस पर उपरोक्त मद संख्या-4 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी।
6. प्ररूप 16-ख (लिफाफा-क) में उन लिफाफों को, जिनके मामले में उपरोक्त मद संख्या-5 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, को एक-एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।
7. उपरोक्त मद संख्या-6 के अन्तर्गत संवीक्षा में डाक मतपत्र को प्रतिक्षेपित (नामंजूर) कर दिया जाएगा-
 - (क) यदि उस पर कोई चिह्न (मत को अभिलिखित करने के लिए चिह्न से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो; या
 - (ख) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है; या मतपत्र के पीछे वाले हिस्से पर मत अभिलिखित किया गया है; या
 - (ग) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा किसी एक अभ्यर्थी तथा 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं;

- (घ) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या
- (ङ) यदि वह ऐसे रूप में क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या
- (च) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नहीं लौटाया गया है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचक को उसके साथ भेजा गया था।
- (छ) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है कि वह बात सन्देहपूर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर डाक मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रतिक्षेपित किए गए डाक मतपत्र के संबंध में प्रतिक्षेपित किए जाने का स्पष्ट कारण अंकित करेगा। डाक मतपत्र के वैध या प्रतिक्षेपित होने के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण I – ऐसे डाक मतपत्र जो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में स्पष्ट रूप से अभिलिखित हो उसे मात्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जायेगा कि उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के लिये मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, बालपैन या स्याही से “x” (क्रॉस) अथवा “✓” (राइट टिक) का अंकन पर्याप्त होगा।

स्पष्टीकरण II – डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी अथवा ‘नोटा’ (इनमें से कोई नहीं) के लिए है, मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

8. बिन्दु 7 के अधीन किसी डाक मतपत्र को नामंजूर करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को, जो उपस्थित हो, डाक मतपत्र का निरीक्षण करने का युक्तियुक्त अवसर देगा किन्तु उसे किसी डाक मतपत्र को छूने नहीं देगा।
9. रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रत्येक डाक मतपत्र पर, जिसको वह नामंजूर/प्रतिक्षेपित करे, उस पर नामंजूर/प्रतिक्षेपित किया गया शब्द का अंकन करेगा और नामंजूर/प्रतिक्षेपित करने का कारण संक्षिप्त रूप में स्वयं के हाथ से या रबड़ की मुहर से पृष्ठांकित करेगा।
10. रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी अथवा ‘नोटा’ (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा। और इस प्रकार गणना करके उनके जोड़ को प्ररूप-21 परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उसे सुनाएगा।
11. तदुपरांत सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित (नामंजूर) मतपत्रों के पृथक-पृथक बंडल बनाए जाएंगे और सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित (नामंजूर) मतपत्रों को पृथक-पृथक पैकेट में रखा जाएगा, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर की और ऐरो अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो इस पर अपने हस्ताक्षर एवं मुद्राएं अंकित करना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा। ऐसे मुद्राबंद पैकेटों पर नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख और उनकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

भवदीय


 (राजेश वर्मा)
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
 एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1452-1458 दिनांक :- 06.02.2026
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलेक्टर), राजस्थान।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।

05-12-2021
(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/1459

दिनांक: 06.02.2026

आदेश

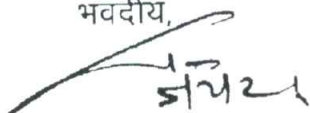
सां.आ. 152/2026 - नगरपालिका के ऐसे निर्वाचनों, जहाँ मत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा डाले जायेंगे और रिकार्ड किए जायेंगे, के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46-क के उप नियम (7) में यह प्रावधान है कि उक्त नियम 46-क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्र के संबंध में, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसी प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 46-क के उप नियम (7) के उपबन्धों के अनुसरण में, पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4166/21.10.2019 (सां. आ 120/2019) को अधिक्रमित करते हुए, सदस्य पदों के निर्वाचनों हेतु डाक मतपत्रों के जरिए मत अभिलिखित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करता है :-

1. नियम 46क के उप नियम (4) में वर्णित मतदाता डाक मतपत्र पर जिस अभ्यर्थी अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प को अपना मत देना चाहता है, वह अभ्यर्थी के नाम अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के सामने बालपैन या स्याही से स्पष्ट रूप से "X" (क्रॉस) अथवा "✓" (राइट टिक) का चिन्ह लगाकर अपना मत रिकार्ड करेगा। चिन्ह इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाये कि मत किस अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प को दिया गया है।
2. एक से अधिक अभ्यर्थी अथवा किसी अभ्यर्थी या नोटा (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में मत रिकार्ड नहीं किया जायेगा।
3. मत रिकार्ड करने के लिये "X" (क्रॉस) अथवा "✓" (राइट टिक) चिन्ह से भिन्न अन्य कोई चिन्ह या संकेत या शब्द या लेख या हस्ताक्षर डाक मतपत्र पर अंकित नहीं किया जायेगा।
4. डाक मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् डाक मतपत्र को "क" चिन्हित छोटे लिफाफे (प्ररूप-16-ख) में मतदाता द्वारा रखा जायेगा और लिफाफा बंद कर दिया जायेगा और उसे मुदा लगाकर या अन्यथा सुरक्षित किया जायेगा।
5. "क" चिन्हित लिफाफे में डाक मतपत्र को सुरक्षित कर देने के पश्चात् प्ररूप 16-क में घोषणा पर मतदाता किसी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी, जिसमें वह मतदाता निर्वाचन कर्तव्यरुद्ध है, की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा और ऐसे अधिकारी से हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन करायेगा। उक्त अनुप्रमाणन करने वाला अधिकारी मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान होने पर मतदाता के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन करेगा।
6. ऊपर वर्णित अनुप्रमाणन अधिकारी को डाक मतपत्र न तो दिखाया जायेगा और न यह बताया जायेगा कि किसके पक्ष में मतदान किया गया है।

7. मतदाता के हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन होने के पश्चात् प्ररूप 16-क में घोषणा और साथ में "क" चिह्नित प्ररूप 16-ख में छोटा लिफाफा जिसमें डाक मतपत्र सुरक्षित रखा गया है, को "ख" चिह्नित बड़े लिफाफे (प्ररूप 16-ग) में बंद कर दिया जायेगा। "ख" चिह्नित बड़े लिफाफे पर निर्दिष्ट स्थान पर मतदाता द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किये जायेंगे।
8. ऊपर वर्णित रीति से "ख" चिह्नित बड़ा लिफाफा बन्द करने के पश्चात् इसे संबंधित निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी को या तो डाक द्वारा, या संदेशवाहक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार दे दिया जायेगा ताकि यह उक्त निर्वाचन में मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जाये।
9. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को जारी किए गए डाक मतपत्र के प्रतिपत्र पर मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट उस मतदाता की क्रम संख्या तथा मतदाता सूची की भाग संख्या अभिलिखित कर देनी चाहिये। मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' (P.B.) यह उपदर्शित करने के लिये लिख दें कि उस मतदाता को डाक मतपत्र जारी किया गया है, किन्तु उसमें उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित न की जावे। रिटर्निंग अधिकारी को, जारी किये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपत्रों को एक अलग पैकेट में मुहरबन्द कर पैकेट पर उसमें रखी गयी सामग्री का संक्षिप्त विवरण और मुहरबन्द करने का दिनांक अंकित कर, अन्य मुहरबन्द निर्वाचन अभिलेख के साथ रखवा देना चाहिये।
10. रिटर्निंग अधिकारी एक रजिस्टर संधारित करेगा जिसमें प्राप्त डाक मतपत्रों और उनके प्राप्त होने की दिनांक व समय का अंकन करेगा।

भवदीय,


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1460-1464
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 06.02.2026

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।


(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर -302005)

क्रमांक: एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1891

दिनांक : 18.02.2026

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलेक्टर) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन)
मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी

विषय :-नगरपालिका निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर डाक मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से कराये जाने हैं तथा सदस्य पद के निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होने के कारण नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्य पद के लिए ही डाक मत पत्रों का मुद्रण करवाया जायेगा।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 4214 दिनांक 21.10.2019 को अधिक्रमित करते हुये नगरपालिका निर्वाचन (सदस्य पद) में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर डाक मतपत्रों के मुद्रण हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

- (1) नगरपालिका निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराने पर निर्वाचन कर्तव्यरुद्ध मतदाताओं के लिए मतपत्र की व्यवस्था के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46-क के प्रावधान लागू होते हैं। उपर्युक्त नियम 46-क के उप नियम (1) के अनुसार किसी वार्ड का मतदाता यदि उसी वार्ड के किसी मतदान केन्द्र पर निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त हो जाता है, (हालांकि आयोग के निर्देशों के अधीन ऐसी सम्भावना नहीं है) तो उसे विहित प्रक्रिया से प्राप्त ई.डी. सी. (प्ररूप-16) के आधार पर वोटिंग मशीन से ही मत देने की अनुमति दे दी जावेगी, किन्तु जो भिन्न वार्ड या भिन्न नगरपालिका का मतदाता है और वह निर्वाचन ड्यूटी के फलस्वरूप उस मतदान केन्द्र, जहां पर वह मतदान करने का हकदार, है, मतदान नहीं कर सकता है। उसे नियम 46-क के उप नियम (4) में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार डाक मतपत्र जारी किया जावेगा। उदाहरणार्थ यदि, नगर निगम अजमेर के वार्ड संख्या 2 का मतदाता वार्ड संख्या 22 में किसी मतदान केन्द्र में चुनाव ड्यूटी पर है, या नगर निगम अजमेर के किसी वार्ड का मतदाता केकड़ी या अन्य किसी नगरपालिका में किसी मतदान केन्द्र में चुनाव ड्यूटी पर है तो निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसे डाक मतपत्र जारी किया जावेगा।

- (2) यहां आयोग के यह निर्देश भी उल्लेखनीय है कि, नगरपालिका मण्डलों में उस नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले या पदस्थापित कर्मियों को नगरपालिका चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाया जावे बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के कर्मियों को नियुक्त किया जावे। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम/परिषदों में डाक मतपत्र की जरूरत हो सकती है, लेकिन नगरपालिका मण्डलों में व्यवहारिक रूप से डाक मतपत्रों को मुद्रित कराने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हालांकि निवारक निरोध में बन्दी व्यक्तियों, यदि कोई हो, को डाक मतपत्र जारी किए जावेंगे।

- (3) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 25 दी उप धारा (5) के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार उस समय प्रभावशील किसी भी विधि के अधीन निवारक-निरोध में रखे गये व्यक्ति को भी मताधिकार प्राप्त है और ऐसे निवारक-निरोध में रखे गये व्यक्तियों को मतदान की सुविधा प्रदान कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक से आदेश जारी कर उन्हें डाक मतपत्र जारी करने एवं मत अभिलिखित करने की विधि विहित की है। अतः जो व्यक्ति निवारक-निरोध में निरुद्ध है उनके द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी (जिसकी अभिरक्षा में वह हैं), के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करने पर उन्हें भी डाक मतपत्र जारी किये जावेंगे।

- (4) उपरोक्त पैराओं में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार डाक मतपत्रों की मुद्रित होने वाली मात्रा जिला स्तर पर ही यथा समय निर्धारित कर ली जावे ताकि मुद्रण कार्य में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो।
- (5) निर्वाचन हेतु डाक मतपत्र का डिजाइन एवं प्रविष्टियाँ:— नियम 46-क के उपनियम (4) के परन्तुक के अनुसार प्रत्येक डाक मतपत्र से प्रतिपर्ण (Counter Foil) संबद्ध होगा तथा डाक मतपत्र और उसका प्रतिपर्ण ऐसे डिजाइन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक 572 दिनांक 16.01.2026 सां.आ. (147/2026) के द्वारा डाक मतपत्र और इसके प्रतिपर्ण का डिजाइन विनिर्दिष्ट किया है। मतपत्र के प्रतिपर्ण एवं नीचे के भाग पर उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 2 में अंकित विवरण के अनुसार प्रविष्टियाँ मुद्रित की जानी है। इसके साथ ही नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या 9 से अधिक होने पर उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 13 में अंकित विवरण के अनुसार प्रविष्टियाँ मुद्रित की जानी है। सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों के नमूना परिशिष्ट 1 एवं 2 संलग्न है।
- (6) उपरोक्त पैरा 5 में वर्णित डिजाइन के मतपत्र पर प्रविष्टियाँ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी। मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति एवं क्रम से दर्शित किये जायेंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं। अभ्यर्थियों के नामों को सूचीबद्ध करने में अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जावेगा अर्थात् प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी और दूसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी आयेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में जो क्रम अभ्यर्थी का होगा वही क्रम मतपत्र में भी रहेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त दोनों श्रेणी का हैडिंग (शीर्षक) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में तो अंकित होगा लेकिन मतपत्र में अंकित नहीं होगा। मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (इनमें में से कोई नहीं) का विकल्प तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जावेगा।
- (7) मतपत्र क्रमशः संख्यांकित होंगे और क्रम संख्यायें मतपत्र व इसके प्रतिपर्ण पर सामने की ओर मुद्रित होंगी। चूंकि क्रम संख्यांक मतपत्र व उससे संबद्ध प्रतिपर्ण पर बाईं ओर दो अलग-अलग स्थानों पर मुद्रित होंगे, अतः प्रत्येक वार्ड के मतपत्रों के मुद्रण हेतु दो टाईप हाई नम्बरिंग मशीनों की जरूरत होगी। यह ध्यान रहे कि नम्बरिंग का इशारेण एक समान रहे। नम्बरिंग पांच डिजिट में होगी अर्थात् 00001 से प्रारम्भ होकर अन्त तक जायेगी।
- (8) अभ्यर्थियों को आवंटित किये गये चुनाव प्रतीक एवं नोटा (इनमें में से कोई नहीं) के विकल्प के लिए निर्धारित प्रतीक को मतपत्र पर अभ्यर्थी के नाम के समपाश्वर् में (सामने) दर्शित किया जावेगा। मतपत्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें में से कोई नहीं) के विकल्प को आवंटित स्थान समान आकार के होंगे तथा उपलब्ध करवाये गये स्थान को अलग करने वाली काली रेखा या छायांकित क्षेत्र (Shaded Area) मतपत्र पर समान होगा।
- (9) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची हेतु अधिसूचना आयोग द्वारा सदस्य पद हेतु अपने आदेश क्रमांक 4178 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना है कि, मतपत्र में उन्हीं चुनाव प्रतीकों को मुद्रित किया जाए जो अधिसूचना में वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चुनाव प्रतीक मुद्रित नहीं किये जावे। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसके लिए आपको आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य है। आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों के नमूनों की सॉफ्ट/हार्ड कॉपी पृथक से उपलब्ध करवा दी जायेगी।
- (10) डाक मतपत्र निजी मुद्रणालयों से मुद्रित कराए जाऐंगे। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निजी मुद्रणालयों में ऑफसेट प्रिंटिंग से डाक मतपत्रों का मुद्रण किया जावेगा, जिसके लिए चुनाव प्रतीकों की सॉफ्टकॉपी आयोग के पत्रांक 4981 दिनांक 19.12.2025 से आपको भिजवाई जा चुकी है।
- (11) मतपत्रों के लिए कागज के सम्बंध में तत्सम आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे। कागज प्राप्त किये जाने के संबंध में आपको पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।
- (12) वार्ड सदस्य चुनाव के लिए डाक मतपत्र प्रत्येक वार्ड के लिए भिन्न-भिन्न होंगे जिनकी संख्या भी बहुत कम होगी। यदि इनको स्टीचिंग किया जावे तो यह ध्यान रखा जावे कि, स्टीचिंग प्रतिपर्ण पर

किया जावे लेकिन इससे प्रतिपत्र की कोई प्रविष्टि कटे नहीं। डाक मतपत्र जारी करते समय प्रतिपत्र को मेटल रूल की सहायता से अलग किया जावेगा।

- (13) डाक मतपत्रों का मुद्रण कार्य चुनाव चिन्हों के आवंटन के तुरन्त पश्चात प्रारम्भ कर, दो दिवस में पूर्ण कराया जावे। चूंकि डाक मतपत्रों के लिये आवेदन पत्रों का समय मतदान के कुछ ही दिन पूर्व का रहेगा और डाक मतपत्रों को मुद्रित कराने हेतु ऐसी स्थिति में समयाभाव रहेगा, इसलिए डाक मतपत्र प्राप्त करने वाले मतदाताओं की सही संख्या मुद्रण के समय तक ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः अनुमान के अनुसार ही मुद्रण हेतु डाक मतपत्रों की संख्या निर्धारित कर ली जावे। ऐसी संख्या का निर्धारण रिटर्निंग अधिकारी स्वयं करेंगे। नगरपालिका मण्डलों के लिये डाकमतपत्रों की संभव आवश्यकता ही नहीं रहेगी, फिर भी अंतिम निर्णय, परिस्थितियों का आंकलन करते हुये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।
- (14) निजी मुद्रणालयों पर मतपत्र मुद्रण कार्य के समय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रखे जावें।
- (15) मतपत्र मुद्रण के समय खराब हुए मतपत्र और कागज के टुकड़े संबंधित मुद्रणालय पर ही प्रभारी अधिकारी के समक्ष निस्तारित कर दिये जायेंगे। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1112 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात मुद्रण कार्य के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी उपयोग लिये जा सकने वाले मतपत्रों को जांच कर अपनी अभिरक्षा में रखेगा।
- (16) नगरपालिका का कोई भी स्टॉफ मतपत्रों के मुद्रण के कार्य में न लगाया जावे।
- (17) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा के विकल्प के स्थान के नीचे छायांकित क्षेत्र नहीं होगा लेकिन एक मोटी लाईन होगी। नोटा के विकल्प के नीचे स्थान 4 एमएम से ज्यादा नहीं छोड़ा जावेगा। नोटा के विकल्प के नीचे काली मोटी लाईन का होना अति आवश्यक है। कहीं कटिंग में वह कट नहीं जावे, इस बात को ध्यान में रखा जावे। यदि कोई बैलेट जिसकी अंतिम काली लाईन कट गई है या नोटा गलत मुद्रित हुई है या अन्य किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण पाया जाये तो उस मतपत्र को काम में नहीं लेना है, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण मान लिया जावेगा और उसे हटा दिया जावेगा।
- (18) मतपत्र के मुद्रण में कहीं अशुद्धि नहीं रहे इसके लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को भी सही तरह से तैयार करना है। मतपत्रों के मुद्रण से पूर्व उनके प्रूफ को चैक करना है। इस हेतु आप अधिकृत प्रतिनिधि के साथ पर्याप्त मात्रा में जानकारी स्टॉफ लगावें। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर ही प्रतीक प्रूफ में मतपत्र में अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा और उसी अनुरूप होगा। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम दोनों प्रकार की श्रेणियों में श्रेणीवार हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार हो तथा यह ध्यान रखा जाए कि, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक चिन्ह भी अंकित किया जाए। उक्तानुसार प्रूफ की जांच की जाकर इस हेतु लगाये गये अधिकारी/कर्मचारी तथा रिटर्निंग अधिकारी प्रूफ के सही होने की पुष्टि के लिए प्रूफ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उक्त हस्ताक्षरित प्रूफ की प्रति रिटर्निंग अधिकारी के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जायेगी। तदनुसार ही मतपत्रों का मुद्रण कराया जाए।

सलग्न - परिशिष्ट 1 एवं 2

भवदीय

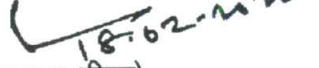
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

क्रमांक: एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1892-1895

दिनांक: 18.02.2026

प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को समस्त संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल कराने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

वार्ड 15 / झालरापाटन / सा.नि. / 2026	
निर्वाचक नामावली भाग संख्या	
निर्वाचक की क्रम संख्या	
No.	
हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी	
दीपक कुमार	
No.	वार्ड 15 / झालरापाटन / 2026 सा.नि.
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
नोटा (इनमें में से कोई नहीं)	

वार्ड 15 / झालरापाटन / सा.नि. / 2026
निर्वाचक नामावली भाग संख्या
निर्वाचक की कम संख्या
No.

हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

दीपक कुमार



दीपक कुमार



No.

वार्ड 15 / झालरापाटन / 2026
सा.नि.

दीपक कुमार



दीपक कुमार



दीपक कुमार



दीपक कुमार



दीपक कुमार



दीपक कुमार



दीपक कुमार



दीपक कुमार



दीपक कुमार



दीपक कुमार



दीपक कुमार



दीपक कुमार



दीपक कुमार



नोटा (इनमें में से कोई
नहीं)



दीपक कुमार

